



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042025-262725
CG-DL-E-28042025-262725

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1848]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 2025/ वैशाख 5, 1947

No. 1848]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2025/ VAISAKHA 5, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2025

का.आ. 1890(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) S.O.No.465(E) दिनांक 27.01.2025 की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तेलंगाना राज्य के हनुमकोंडा जिले में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड (नया NH-163G) ग्रीन फील्ड हाईवे लंबाई 108.24 वारंगल से खम्मम तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के कि.मी. 0 से कि.मी. 9 (परकाल) के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "माना तेलंगाना" और "टाइम्स ऑफ इंडिया" दोनों दिनांक 06.02.2025 प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

हनमकोंडा जिले में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड (नया NH-163G) ग्रीन फील्ड हाईवे लंबाई 108.24 वारंगल से खम्मम तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के कि.मी. 0 से कि.मी. 9 (परकाल) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना			जिले का नाम: वारंगल(ग्रामीण)		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: दमरा					
गांव का नाम: मुस्तयालपल्ले					
1	195-2	निजी	ड्राय	0.1686833	कडुदुला शंकरैया, एंस्/ओ. अगैया 195
2	195-2	निजी	ड्राय	0.1126927	एंस्आर्एँस्पी कैनल 195/2
तालुक का नाम: आत्मकूर					
गांव का नाम: पेद्दापूर					
3	1196	निजी	ड्राय	0.0151755	पेदाबोइना रवी, एंस्/ओ. रामलू 1196
4	1196	निजी	ड्राय	0.0151755	पेदाबोइना उप्पलैया, एंस्/ओ. राजैया 1196
5	1197	निजी	ड्राय	0.04047	लक्ष्मी प्रसाद, एंस्/ओ.मल्लैया 1197
6	1197	निजी	ड्राय	0.1315275	वी.वासवी डबल्यू/ओ. कृष्णमूर्ति, जी.अवंथी

					डबल्यू/ओ. भास्कर 1197
7	969-3	निजी	ड्राय	0.0101167	अनुकथाला रविंद्र एँस्/ओ. चंद्रमौली
8	970-2	निजी	ड्राय	0.0303412	अनुकथाला हमसल, एँस्/ओ. चंद्रमौली
9	970-2	निजी	ड्राय	0.0404577	अनुकथाला रविंद्र, एँस्/ओ. चंद्रमौली
10	986-2	निजी	ड्राय	0.012341	श्रीमल्ल बघ्यालक्ष्मी, डबल्यू/ओ. वेंकटरमनरसैया 986
Total				0.5769811	

[फा. सं. NHAI/PIU-KMM/W-K/DPR/LA/3a/2018/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th April, 2025

S.O. 1890(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways vide S.O.No.465(E) dated 27.01.2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for 4 lanes access controlled (New NH-163G) Green Field Highway from Warangal to Khammam of length 108.24 Km. for the stretch of land from Km. 0 to Km. 9 (Office of Revenue Divisional Officer cum CALA, Parkal) in the District of Hanmakonda in the State of TELANGANA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Mana Telangana” and “The Times of India” both dated 06.02.2025 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-163G in the stretch of land from Km. 0 to Km. 9 (RDO, Parkal) in the district of Hanmakonda in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA			District: Warangal(Rural)		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Dammera					
Village: Musthyalpalle					
1	195-2	Private	Dry	0.1686833	Kadudula Shankaraiah, S/o. Agaiah 195
2	195-2	Private	Dry	0.1126927	SRSP CANAL 195/2
Taluk: Atmakur					
Village: Peddapur					
3	1196	Private	Dry	0.0151755	Peddaboina Ravi, S/o. Ramulu 1196
4	1196	Private	Dry	0.0151755	Peddaboina Uppalaiah, S/o. Rajaiah 1196
5	1197	Private	Dry	0.04047	Laxmi Prasad, S/o.Mallaiah 1197
6	1197	Private	Dry	0.1315275	V.Vasavi W/o. krishnamurthy, G.Avanthi W/o. Bhaskar 1197
7	969-3	Private	Dry	0.0101167	Anukathala Ravinder So Chandramouli
8	970-2	Private	Dry	0.0303412	Anukathala Hamsal, S/o. Chandramouli
9	970-2	Private	Dry	0.0404577	Anukathala Ravinder, S/o. Chandramouli
10	986-2	Private	Dry	0.012341	Srimalla Baghyalaxmi, W/o. Venkatramnarsaiah 986
Total				0.5769811	

[File Number: NHAI/PIU-KMM/W-K/DPR/LA/3a/2018/3D]
SHAIKH AMINKHAN, Director